तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
30—12—24	**एकल—पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक प्रार्थी। **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—230 सपठित धारा 221 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—12—2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं.4 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53. 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया। उपखंड अधिकारी ने उक्त वाद निर्णय दिनांक 2—2—24 द्वारा डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील, अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने स्थगन दिया जाना उचित नहीं मानते हुये रेस्पोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर तहत का रिकोर्ड तलब कर लिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थीगण को बिना विधिवत नोटिस तामील कराये एकपक्षीय निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की थी जिसके विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रस्तुत की गई। एकपक्षीय डिक्री होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय को स्थगन जारी किया जाना चाहिये था लेकिन स्थगन पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया। विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की आड में विवादित आराजी के खुर्दबुर्द होने की संभावना है तथा विवादित आराजी खुर्दबुर्द होने से पक्षकारों के मध्य वादबहुलता बढेगी तथा स्थगन का उद्देश्य ही निष्फल हो जावेगा। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। 4. प्रार्थी के अभिभाषक की बहस ग्रायहता के स्तर पर सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।	

5. आलोच्य आदेश दिनांक 16–12–2024 के अवलोकन से जाहिर है कि उपखंड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2–2–2024 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर न्यायाल भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने आलोच्य आदेश दिनांक 16–12–2024 से स्थगन दिया जाना उचित नही मानते हुये विपक्षी को नोटिस जारी करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर आगामी पेशी नियत की है। अपीलीय न्यायालय का उक्त आदेश पूर्णतः अंतरिम आदेश की श्रेणी का है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में मूल अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय न्यायालय में लम्बित है अतः अंतरिम आदेश दिनांक 16–12–2024 निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत् निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. निष्कर्षतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने से ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके समक्ष लंबित अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर दो माह में विधिसम्मत रूप से करें। उभय पक्ष न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष दिनांक 15–1–2025 को वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं उपस्थित हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य